Notice

Statutory time limits for providing of Consent/Authorization by Rajasthan State Pollution Control Board, as per provision of the applicable Acts. The details of services, upper time limit, First Appellate Authority, Second Appellate Authority, Designated officers and Assistance to Designated Officers are as follows-

S.no	Details if Services and the Relevant Acts	Statutory time limit for delivery of services	Designated Officer	Assistance to Designated Officer	First Appellate Authority	Second Aappellate Authority	Comment s, if any
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Consent to Establish under Water(Prevention & control of pollution) Act,1974 A months Chairperson Regional Officer		Member Secretary and Group Incharge Asst. Env. Engr. Sci. Officer Jr. Sci. Officer Jr. Env. Engr.	Appellate Authority constituted under Water (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010 Appellate Authority constituted under Water (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010	National Green Tribunal National Green Tribunal		
2	Consent to Operate under Water(Prevention & control of pollution) Act, 1974 Chairperson Regional Officer		Member Secretary and Group Incharge Asst. Env. Engr. Sci. Officer Jr. Sci. Officer Jr. Env. Engr.	Appellate Authority constituted under Water (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010 Appellate Authority constituted under Water (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010	National Green Tribunal National Green Tribunal		

3	Consent to Establish under Air (Prevention & control of pollution) Act,1981	4 months	Chairperson	Member Secretary and Group Incharge Asst. Env. Engr.	Appellate Authority constituted under Air (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010 Appellate Authority constituted under Air (Prevention & control of pollution) Rules.	National Green Tribunal National Green Tribunal
4	Consent to Operate under Air (Prevention & control of pollution) Act, 1981	4 months	Officer Chairperson Regional Officer	Sci. Officer Jr. Sci. Officer Jr. Env. Engr. Member Secretary and Group Incharge Asst. Env. Engr. Sci. Officer Jr. Sci. Officer	Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010 Appellate Authority constituted under Air (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide notification dated 19/08/2010 Appellate Authority constituted under Air (Prevention & control of pollution) Rules. Authority has been constituted vide	National Green Tribunal National Green Tribunal
5	Authorization under Hazardous Wastes(Manageme nt, Handling and Trans-boundary Movement)Rules, 2016	120 days	Chairperson Regional Officer	Jr. Env. Engr. Member Secretary and Group Incharge Asst. Env. Engr. Sci. Officer Jr. Sci. Officer Jr. Env. Engr.	notification dated 19/08/2010 Secretary DOE,GOR Secretary DOE,GOR	National Green Tribunal National Green Tribunal

Note: The time shall be counted from the submission of complete application and complete documents as required by the State Pollution Control

Board

Member Secretary

Rajasthan State Pollution Control Board

जयपुर दिनांकः 01.09.2017

सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा प्रदत्त किए जा रहे सम्मति / प्राधिकार पत्र सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी निम्न सारणीनुसार हैं :--

सारणी

क्र.	अधिनियम एवं	सेवा	पदाभिहित	सहायक	प्रथम अपीलीय अधिकारी		अपील	विशेष
स.	सेवा का विवरण	प्रदान	अधिकारी	पदाभिहित		प्राधिकारी		टिप्पणी,
		करने		अधिकारी	***			यदि
		की	*	**		***	<	कोई हो
		समयाधि						
1	2	3	4	5	6	7		8
1	जल (प्रदूषण	चार माह	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के	राष्ट्रीय	हरित	
	निवारण एवं			एवं ग्रुप प्रभारी	अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण।	अधिकरण		
	नियंत्रण)				अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन			
	अधिनियम 1974				दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।			
	के अन्तर्गत		क्षेत्रीय	स.पर्या. अभि.,	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के	राष्ट्रीय	हरित	
	स्थापना हेतु		अधिकारी	वै. अधि., क.	अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण।	अधिकरण		
	सम्मति			पर्या. अभि एवं				
				क. वै. अधि.	दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।			
2	जल (प्रदूषण	चार माह	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के	राष्ट्रीय	हरित	
~	निवारण एवं	1		एवं ग्रुप प्रभारी	अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण।	अधिकरण		
	नियंत्रण)			, 3	अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन			
	अधिनियम 1974				दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।			
	के अन्तर्गत	l .	क्षेत्रीय	स.पर्या. अभि.,	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के	राष्ट्रीय	हरित	
	संचालन हेतु	l .	अधिकारी	वै. अधि., क.		अधिकरण		
	सम्मति		JIIMATI		अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन			
					दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।		_	

3	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981	चार माह	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं ग्रुप प्रभारी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण। अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।		हरित
	के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	,	क्षेत्रीय अधिकारी	वै. अधि., क. पर्या. अभि एवं क. वै. अधि.	अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।	अधिकरण	हरित
	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981	चार माह	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं ग्रुप प्रभारी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण। अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।	अधिकरण	हरित
	के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति		क्षेत्रीय अधिकारी	स.पर्या. अभि., वै. अधि., क. पर्या. अभि एवं क. वै. अंधि.	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण। अपीलीय प्राधिकरण का गठन नोटिफिकेशन दिनांक 19.08.2010 द्वारा किया गया।	राष्ट्रीय अधिकरण	हरित
5	परिसकंटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं	120 दिन	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं ग्रुप प्रभारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय अधिकरण	हरित
	पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	·	क्षेत्रीय अधिकारी	स.पर्या. अभि., वै. अधि., क. पर्या. अभि एवं क. वै. अधि.	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय अधिकरण	हरित

टिप्पणीः— समय सीमा आवेदक द्वारा अधिसूचित अधिनियमों एवं तदानुसार जारी नियमों एवं आदेशों के अनुसार पूर्ण आवेदन करने के पश्चात प्रारम्भ होती है।

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मण्डल



राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 1, सोमवार, शाके 1932-अगस्त 23, 2010 Bhadra 1, Monday, Saka 1932-August 23, 2010

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। पर्यावरण विभाग

कमरा नं. 8324, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सिववालय, जयपुर

फोन : 0141-2227669, 2227393

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 19, 2010

संख्या प.5(4)पर्या. 🖊 ८४ / पार्ट प्रथम: – जल (प्रदूषण, निवारण एएं नियंत्रण) अधिनियम. 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 28 की उप–धारा (2) एवं वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 31 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल जल एवं वायु अपीलीय प्राधिकरण का बुनर्गंडन निम्नानुसार तुरंत प्रभाव से करते हैं :-अध्यक्ष

अध्यक्ष राजस्य मंडल, अजमेर

प्रमुख शासन सचिव (विधि). विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

सदस्य

श्री बी. एस. शर्मा, 3. सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,

जयपुर।

जल एवं वायु अपीलीय प्राधिकरण का सचिवालीय कार्य पर्यावरण विभाग द्वारा सम्पादित किया

यह अधिसूचना उक्त संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक मई 10, 2010 के जावेगा। अधिक्रमण में जारी की जा रही है। राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. वी.एस. सिंह, प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरणं विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जगपुर।